न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2019

अपीलान्टः–

1– रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति माली निवासी मंगलपुरा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज.।

बनाम

रेस्पोडेन्टः–

1– तहसीलदार लाडनू।

उपस्थित अधिवक्ता–

1– श्री मुन्नालाल टाक अधिवक्ता अपीलान्ट ।

अपील विरूद्ध निर्णय सरकार जरिये पटवार हल्का लाडनूं बनाम रमेश कुमार प्रकरण संख्या 01/2019 न्यायालय अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय तहसीलदार लाडनूं का निर्णय दिनांक 25/09/2019.
अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांकः–06.04.2021

{1}– यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 01/2019 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का, लाडनूं बनाम रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल, जाति माली निवासी मंगलपुरा में पारित निर्णय दिनांक 25/09/2019 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} – अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने लाडनूं के खसरा न0 1582 रकबा 101–10 बीघा किस्म गै0मु0 अंगौर में से 02 बिस्वा पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा लाडनूं के खसरा नं. 1582 रकबा 101–10 बीघा किस्म गै0मु0 अगौर भूमि में से 02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर लाडनूं के खसरा नम्बर 1582 रकबा 101–10 बीघा किस्म गै0मु0 अगौर भूमि में से भूमि 02 बिस्वा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर 0.055 रूपये का 50 गुणा से जुर्माना राशि रूपये 3/–अक्षरे तीन रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 03.12.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 03.12.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/400 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लाडनूं

{3}(1)– यह है कि अपीलार्थी की दूकान की जायगा की मौका रिपोर्ट में 2 बिस्वा भूमि पर ढाबा व टीनशेड बनाकर अतिक्रमण माना है। जिसमें मौके की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नही की गयी थी तथा मौका रिपोर्ट में विवादित जायगा के पड़ौस भी नही दर्शाये गये है इसलिए उक्त गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)– यह है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात न तो सुनवाई का अवसर दिया एवं न ही अपीलार्थी को उक्त मौका रिपोर्ट की जानकारी दी। इसलिए बिना अपीलार्थी को सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है इसलिए भी उक्त अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)- यह है कि उक्त दुकान की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत दूजार द्वारा 16.10.1981 में जारी किया गया था तथा उक्त पट्टा का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय लाडनूं में दिनांक 21.03.2005 को किया गया है। अपीलार्थी उक्त दुकान में अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के दस्तावेजों को न मानकर विधि की अवहेलना की है।

{3}(4)– यह है अपीलार्थी की भूमि के संबंध में पट्टे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे तथा उक्त पट्टे का पंजीयन भी सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमानुसार करवाया गया है। लेकिन पट्टाधारी की उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है तथा अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है।

{3}(5)– यह है कि अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लीडवाना

{4}- वकील अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया कि उसकी पुरानी पट्टासुदा जमीन ग्राम मंगलपुरा के आबादी में स्थित है जिस पर दुकान बनी हुई है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत दुजार द्वारा मिशल संख्या 70 सन् 1980–81 तारीख दायरा 16.08.1980 तैयार करके सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर संकल्प संख्या 22 दिनांक 01.10.1980 के द्वारा पट्टा जारी करने का पारित कर रसीद संख्या 61 दिनांक 06.10.1981 को 105 रूपये की रसीद काटकर पट्टा संख्या 197 दिनांक 16.10.1981 को जारी किया गया था। जिसका रजिस्ट्रेशन अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2005 को उप पंजीयक लाडनूं के कार्यालय से करवाया गया। जिसमें अपीलार्थी ने हॉटल के लिये रजिस्ट्रेशन वर्ष 2005 में करवाया तथा हॉटल के कर्मचारी व चोकीदार इसमें निवास करते थे। उक्त भूमि पर बिजली, पानी व टेलिफोन के कनेक्शन लिये हुए थे। उक्त भूमि में से काफी भाग डीडवाना चौराहा पर नागौर सालासर बाईपास रोड़ बनी उसमें चला गया तथा शेष रही भूमि पर लोहे का ढाबा बनाकर टीनशेड लगाकर अपनी दुकान को पुनः चालू किया गया। पटवार हल्का लाडनूं द्वारा जो रिपोर्ट बनाकर पीठाशीन अधिकारी तहसीलदार लाडनू के समक्ष पेश की उसमें उक्त भूमि को गैर मुमकिन अंगोर की भूमि होना पेश किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 25.09.2019 को निर्णय पारित कर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की है।

{5}- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09.2019 को पारित हुआ। अपीलार्थी ने अपील दिनांक 03.12.2019 को प्रस्तुत की जिससे यह अपील मियााद बाहर है। लेकिन हम अपील को गुणवगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जा रहा है।

{6}– बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का लाडनूं की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा लाडनूं के खसरा नं0 1582 रकबा

101.10 बीघा गै. मु. अंगौर में से 02 बिस्वा अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0 मु0 रास्ता भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजकीय अंगौर भूमि है तथा वर्तमान में भी राजकीय खाते में दर्ज है। गै.मु. अंगौर भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि है। इस प्रकार की भूमियों पर किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत कोई पट्टा जारी नहीं कर सकती है। यह वादग्रस्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज है। ग्राम पंचायत केवल गै.मु. आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी कर सकती है। अगर कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी भी किया गया है तो उसका कोई महत्व नही है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। कब्जा विधि सम्मत होना चाहिए और उसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का स्वत्व व अधिकार होना माना जा सके। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोइ हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतिरिक्त [illegible]

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09..2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी होकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)